Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- पाली में पटवारी, पटवार हल्का लाटाडा तहसील 8000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक, 01 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. पाली–प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **विक्रम, पटवारी, पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली जिला पाली** को **8,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रेप किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ए.सी. बी. चौकी पाली–प्रथम को एक शिकायत इस आशय की मिली कि विक्रम पटवारी, पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली जिला पाली द्वारा परिवादी स्वयं के नाम से पूर्व में क्रय भूमि के नामान्तरण व विभाजन करने की एवज में 11,000/– रूपये की मांग कर पूर्व में 5,000/– रूपये प्राप्त कर लेना एवं वर्तमान में परिवादी की माता के नाम पटवार हल्का लाटाडा में स्थित भूमि खसरा संख्या 80 के सीमांकन हेतु 2,000/– रूपये की मांग करना तथा पूर्व में परिवादी के किये गये कार्यों की एवज में बकाया 6,000/– रूपये इस प्रकार कुल 8,000/– रूपये रिश्वत राशि मांग परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी जोधपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. पाली प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र डुकिया** के नेतृत्व में आज के ट्रेप कार्यवाही करते हुए विक्रम, पटवारी, पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली जिला पाली को 8,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रेप किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।